10

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
161 / 2018	27.07.2018	15.07.2024

डा0 मुकेश मीना पुत्र श्री गुरज्या मीना निवासी रीको इण्ड. एरिया, गंगापुर सिटी
——प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. मुरारीलाल पुत्र परसादी, मीना निवासी विनेगा तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ने ख0नं0 1720 / 1818 ग्राम डिवस्या में से जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र भूमि खरीदी है जिसका ख0नं0 1951 / 1720 कायम किया है। प्रार्थी द्वारा रिकार्ड रूम से ख0नं0 1720 / 1818 की मोमिया शीट की सत्यप्रति प्राप्त की है। मोमिया शीट एवं लठ्ठा शीट में भिन्नता है इसलिए श्रीमान्जी से निवेदन है कि तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई जाकर लठ्ठा शीट में जो अस्पष्टता दर्शाई गई है उसे रिकार्ड रूम से मंगाई गई मोमिया शीट के मुताबिक दुरूस्त की जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 8 ग्राम डिवस्या, प्रमाणित फोटोकोपी मोमिया शीट, फोटोकोपी नकल नक्शा शीट, फोटोकोपी नकल नामान्तरकरण संख्या 618 दिनांक 20.6.2018 प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगर्ण को तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम डिवस्या के ख0नं0 1720 / 1818 रकबा 0.17 है0 साबिक ख0नं0 सुनीता पत्नी बृजलाल मीना निवासी पीलोदा से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.7.16 से मुकेश मीना पुत्र गुरज्यालाल मीना हि0 862 / 1700 क्रय किया गया था। जिसका बंटवारा राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में आपसी सहमति से किया गया था। उक्त बंटवारा अनुसार नामा0सं0 691 दिनांक 22.6.2018 खोला गया था जिसमें मुकेश मीना का नवीन ख0नं0 1951 / 1720 रकबा 0.0862 बनाया गया किन्तु बंटवारा आदेश के नजरी नक्शा अनुसार नक्शा लठ्ठा तत्समय ही तरमीम नहीं की गई। बंटवारा आदेश के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस केअनुसार ही मूल लठ्ठा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

शीट में तरमीम किए जाने पर ही दोनों नक्शा लठ्ठा में समानता लाई जा सकती है। अतः श्रीमान्जी मुकेश मीना के बंटवारे में 1720/1818 दिया गया उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जाना उचित है।

जबाब के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी ने पटवारी हलका की मूल रिपोर्ट दिनांक 21.5.2024 प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा ख0नं0 1720/1818 ग्राम डिवस्या में से भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद किए जाने की कोई जानकारी जबाबदार को नहीं है। इस खरीदशुदा भूमि का ख0नं0 1951/1720 कायम किया जाना रिकार्ड से सम्बन्धित तथ्य है। ख0नं0 1720/1818 की मोमिया शीट प्रार्थी द्वारा रिकार्ड रूम से प्राप्त करने तथा मोमिया शीट व पटवारी लठ्ठा शीट में भिन्नता से उक्त प्रकरण का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण ख0नं0 1720/1818 न खरीदकर केवल उसका कुछ हिस्सा जरिए रजिस्ट्री क्रय किया गया है इसलिए सम्पूर्ण खसरा नम्बर 1720/1818 के रकबे के बाबत् प्रार्थी को उक्त मुकदमा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने जो भूमि खरीदी है वह भूमि प्रार्थी भूमि के विक्रेता से प्राप्त करने का अधिकारी है न कि रेवेन्यु रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने का। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थी नं0 2 ने फोटोकोपी नकल नक्शा शीट, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 105, 8 ग्राम डिवस्या, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 ग्राम खानपुरबडौदा खाता संख्या 153, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी समाचार पत्र प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी के द्वारा खरीद की गई भूमि का ख0नं0 1951/1720 है। प्रार्थी ने यह भूमि ख0नं0 1720/1818 में से खरीद की है परन्तु ख0नं0 1720/1818 की रिकार्ड रूम स0मा0 से प्राप्त मोमिया शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लठ्ठा शीट की प्रमाणित प्रतिलिपि में अन्तर है । इस अन्तर को मोमिया शीट के अनुसार दुरूस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ने ख0नं0 1720/1818 को सम्पूर्ण नहीं खरीदा है बल्कि इसमें से कुछ हिस्सा खरीदा है जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज हो गई है। अपने हिस्से की भूमि की नक्शा शीट में प्रार्थी को खरीद के समय ही या भूमि विभाजन के समय ही तरमीम करवानी चाहिए थी परन्तु प्रार्थी ऐसा नहीं कर

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

भूमि ख0नं0 1720/1818 की मोमिया शीट के आधार पर इस भूमि के सम्पूर्ण रकबे के नक्शे में दुरूस्ती चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है क्योंकि प्रार्थी अपनी खरीदशुदा भूमि के लिए ही दुरूस्ती का अधिकारी है न कि सम्पूर्ण रकबे के लिए। इसके अलावा प्रार्थी ने जिस खातेदार से भूमि खरीदी थी उसके विरूद्ध ही पुलिस में इस भूमि के बाबत् धोखाधडी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए जाने के कारण खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 8 ग्राम डिवस्या के अनुसार ख0नं0 1720/1818 का रकबा 0.17 है0 दर्ज है एवं यह भूमि कई खातेदारों के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसमें प्रार्थी का 862/1700 हिस्सा दर्ज है। इस भूमि के पक्षकारों द्वारा लोक अदालत में सहमति से कराए गए विभाजन के पश्चात् प्रार्थी के नाम भूमि ख0नं0 1951/1720 रकबा 0.0862 है0 दर्ज हुआ है जो नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 8 ग्राम डिवस्या से प्रमाणित है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट के माध्यम से मूल ख0नं0 1720/1818 की मोमिया शीट के अनुसार वर्तमान लठ्ठा नक्शा शीट में तरमीम चाहता है जिसे कराने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है क्योंकि यह सम्पूर्ण खसरा नम्बर प्रार्थी की खरीद का नहीं है बल्कि प्रार्थी ने इसमें से केवल 863/1700 हिस्सा खरीद किया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों से परे जाकर प्रस्तुत किया गया है एवं तथ्यों के विपरीत है जो खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)